

# कार्यालय नगर पालिका मण्डल चौमू (जयपुर)

क्रमांक/न.पा.चौमू/फायर/2023/१११३



दिनांक २५/५/२०२३

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रेषित-

आवदेक का नाम : - प्राचार्य, ओएसिस पब्लिक स्कूल

पता : - एन.एच.- 52, हाडोता, चौमू, जयपुर

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्रांक दिनांक २०/२/२०२३ के क्रम में।


आपके एन.एच.- 52, हाडोता, चौमू, जयपुर स्थित ओएसिस पब्लिक स्कूल के भवन का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त भवनों के लिए निम्न शर्तों पर पाबन्द करते हुये यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


शर्त:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। पाँच वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा।
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालना करना होगा।
4. यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम-उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
5. भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
6. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पंप फायर सिस्टम 24 घंटों कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल मात्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये नक्शों के लिए ही मान्य होगा।
8. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए खुला स्थान आवरोध रहित रखना होगा।
9. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोट पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
10. यह प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा के लिए मान्य होगा।
11. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे।
12. भूमि व भवन संबन्धित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र मान्य नहीं होगा इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तायी होगा।

उपरोक्त शर्तों का अक्षरक्षः पालना करनी होगी अन्यथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194(एफ) के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

  
Manager  
Oasis Public School  
Chomu (Jaipur)

  
Principal  
Oasis Public School  
Chomu (Jaipur)

  
अधिसाधी/आधिकारी  
अग्निशमन/आधिकारी  
नगर पालिका, चौमू